भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 574

गुरूवार, 23 जुलाई, 2026/ 1 श्रावण, 1948 (शक)

श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन

574 # श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक कितने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने श्रम संहिताओं के अंतर्गत अपने संबंधित राज्य नियमों का मसौदा तैयार कर उन्हें अधिसूचित किया है; और

(ग) क्या सरकार श्रम संहिताओं के कुछ प्रावधानों के संबंध में कुछ राज्य सरकारों अथवा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के समाधान के लिए कोई त्रिपक्षीय वार्ता कर रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): भारत सरकार ने 21 नवंबर, 2025 से चार श्रम संहिताएं अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य दशाएं (ओएसएच&डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 लागू की हैं।

चूंकि 'श्रम' समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए भी इन श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाना अपेक्षित है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने पहले ही उपाय किए हैं और श्रम संहिताओं के अधीन नियमों को अंतिम रूप दे दिया है या उन्हें प्रकाशित/पूर्व-प्रकाशित कर दिया है, तथा कुछ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र नियमों को पूर्व-प्रकाशित करने/अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

चारों श्रम संहिताओं को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात पारित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.12.2025 को हितधारकों के टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया गया था। दिनांक 8 मई, 2026 को हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार और परामर्श करने के पश्चात केंद्रीय नियमों को अधिसूचित किया गया था।

इसके अलावा, चारों श्रम संहिताओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए गए थे।

******